पत्रांकः:विधि / 2018—19 / 431 / वाणिज्य कर

कार्यालय— कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांकः 19 नवम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड—1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के पत्र संख्या—278 / जी0एस0टी0 / 2017—18 / file no.118 / राज्य कर दिनांक 01.07.2017 के बिन्दु क्रमांक—2 के अनुसार जोन में तैनात संयुक्त आयुक्त, कारपोरेट (सर्किल) को उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या—1 सन् 2017) की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ उचित अधिकारी (प्रॉपर ऑफिसर) नामित किया गया है। नामित संयुक्त आयुक्त, कारपोरेट (सर्किल) आयुक्त, राज्य कर द्वारा जोन के विनिर्दिष्ट व्यापारियों के संबंध में कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे। उक्त के क्रम में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा गठित समिति के निर्णयानुसार जोन के 60 सबसे बड़े व्यापारियों (जिसमें 45 व्यापारी माल की आपूर्ति तथा 15 व्यापारी सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हों) को विनिर्दिष्ट किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के क्रम में निदेश दिया जाता है कि जोन के 5 करोड़ से अधिक करयोग्य आवर्त वाले जोन के सबसे बड़े (क्रमवार बड़े से) व्यापारियों की सूची दिनांक 19.11.2018 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि ऐसे व्यापारियों के संबंध में संयुक्त आयुक्त, कारपोरेट सर्किल द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट किया जा सके।

भवदीया,

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।